सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/02 दायर दिनांक 03.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. नेमीचन्द पुत्र सुरजमल, जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. केदारमल पुत्र सुरजमल, 2. ओमप्रकाश पुत्र भुराराम, 3. भुराराम पुत्र धनाराम, 4. जगदीश पुत्र भुराराम, 5. दुर्गा देवी पत्नि भुराराम, 6. सुशीला पुत्री भुराराम, 7. शारदा पुत्री भुराराम, 8. हीरा देवी पुत्री धनाराम, 9. पनालाल पुत्र उमाराम, 10. रामेश्वर पुत्र मंगाराम, 11. देवाराम पुत्र मंगाराम, 12. किसनाराम पुत्र मंगाराम, समस्त जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, डीडवाना 13. रामेश्वर उर्फ रामसिंह पुत्र किसनाराम, 14. रामगोपाल पुत्र रामेश्वर, जाति माली, निवासी झालराबास, डीडवाना 15. गोविन्दराम पुत्र नरसाराम, 16. कानाराम पुत्र नरसाराम, 17. गोरधन पुत्र नरसाराम, 18. चिमनाराम पुत्र नरसाराम, 19. नरसाराम पुत्र रूघनाथ, 20. भोलूराम पुत्र रूधनाथ, 21. नन्दकिशोर पुत्र रूधनाथ, 22. नेमीचन्द पुत्र रूधनाथ, 23. तुलछी बेवा रूधनाथ, समस्त जाति माली, निवासीयान कादिया बास, डीडवाना 24. गणपतराम पुत्र नन्दाराम, 25. रामनारायण पुत्र गणपतराम, समस्त जाति जाट, निवासी डीडवाना 26. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र अभय सिंह, जाति

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		राजपूत, निवासी राजपूत कॉलोनी, डाक बंगलां के पिछे, डीडवाना 27. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की ओर से।

–:: अन्तिम निर्णय ::– दिनांक **03.04.2018**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 133 रकबा 144.12 बीघा व खसरा संख्या 131 रकबा 28 बीघा कुल 172.12 बीघा वाके अमरपुरा स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। तथा खातेदार गोपी देवी, बिरदी देवी, गणेशी का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उक्त खेतो के पूर्व खातेदारान द्वारा अपने अपने हक हिंस्से की भूमि को समय समय पर अन्य को बेचाण करते आये है तथा जमाबन्दी के खातेदार रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र, रामकुवार पुत्र हजारीराम ने भी अपने हिस्से की भूमि का अन्यत्र को बेचाण कर दिया है, तथा दानाराम प्रजापत ने भी अपना हिंस्सा वादी नेमीचन्द को बेचाण कर दिया था, इस कारण से इनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी की माता जमना देवी ने अपने संभावित हिंस्से का बेचाण दानाराम प्रजापत को दिनॉक 13.03.2012 को कर दिया, तथा उक्त दानाराम ने यह क्रय सुदा भूमि वादी को दिनॉक 03.12.2012 को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया था, जिस पर वादी नेमीचन्द अबाध रूप से काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। उक्त खेत पैतृक है तथा उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा वर्षो पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार वादी के हक में उक्त दोनो खेतो में से 12.19 बीघा भूमि बंट में आयी अर्थात खरीदी हुयी व पैतृक हिंस्सा दोनो मिलाकर 12.19 बीघा भूमि बंट व कब्जा काश्त में आयी है, जिसको समतल कर खाद्व वगैरह डालकर उपजाउ बना लिया है तथा खेत के चारो तरफ पटिटयां रोपकर तारबंदी की हुयी है, तथा पुरानी सिंवे मौजुद है जिन सिंवों में वर्षो पुराने पेड़ खेरी आदि मौजुद है तथा हर वर्ष बाड़ करते आये है, तथा शुरू से लेकर आज तक अपने बंट के हिंस्से में अबाध रूप से काश्त करता आ रहा है। इस मौखिक बंटवारा को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है जो नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। तथा उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से काश्त के समय व सरकारी सहायता लेने आदि कामो में भारी असुविधा होती है। वादी उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है, अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी

पृष्ठ संख्या ....3.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आया है। वादी की बंट, कब्जा काश्त क्रय सुदा खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस हेतु उनके खिलाफ वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का जायज अधिकारी है। अतः वादी को दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

मौखिक साक्ष्य में वादी ने आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी की नकल प्रदर्श –1, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श –2, विक्रय पत्र दिनॉक 13.03.2012 की नकल प्रदर्श –3, विक्रय पत्र दिनॉक 03.12.2012 की नकल प्रदर्श –4, नजरी नक्शा प्रदर्श –5 पेश हुये।

अधिवक्ता वादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद अमरपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 131 व 133 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 131 रकबा 28 बीघा में से 6.18 बीघा पश्चिमी व खसरा संख्या 133 रकबा 144.12 बीघा मे से 6.01 बीघा उतरी बीच का अर्थात कुल 12.19 बीघा भूमि का नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, जी, बी, सी, डी, ई, एफ हिंस्से का वादी नेमिचन्द को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

वादी		प्रतिवादीगण
1. नेमीचन्द पुत्र सुरजमल, जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. केदारमल पुत्र सुरजमल, 2. ओमप्रकाश पुत्र भुराराम, 3. भुराराम पुत्र धनाराम, 4. जगदीश पुत्र भुराराम, 5. दुर्गा देवी पत्नि भुराराम, 6. सुशीला पुत्री भुराराम, 7. शारदा पुत्री भुराराम, 8. हीरा देवी पुत्री धनाराम, 9. पनालाल पुत्र उमाराम, 10. रामेश्वर पुत्र मंगाराम, 11. देवाराम पुत्र मंगाराम, 12. किसनाराम पुत्र मंगाराम, समस्त जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, डीडवाना 13. रामेश्वर उर्फ रामसिंह पुत्र किसनाराम, 14. रामगोपाल पुत्र रामेश्वर, जाति माली, निवासी झालराबास, डीडवाना 15. गोविन्दराम पुत्र नरसाराम, 16. कानाराम पुत्र नरसाराम, 17. गोरधन पुत्र नरसाराम, 18. चिमनाराम पुत्र नरसाराम, 19. नरसाराम पुत्र रूघनाथ, 20. भोलूराम पुत्र रूधनाथ, 21. नन्दकिशोर पुत्र रूधनाथ, 22. नेमीचन्द पुत्र रूधनाथ, 23. तुलछी बेवा रूधनाथ, समस्त जाति माली, निवासीयान कादिया बास, डीडवाना 24. गणपतराम पुत्र नन्दाराम, 25. रामनारायण पुत्र गणपतराम, समस्त जाति जाट, निवासी डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		26. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र अभय सिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपूत कॉलोनी, डाक बंगलां के पिछे, डीडवाना 27. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

राजस्व वाद संख्या 2018/02 निर्णय दिनांक :– 03.04.2018

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता वादी की ओर से, प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद अमरपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 131 व 133 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 131 रकबा 28 बीघा में से 6.18 बीघा पश्चिमी व खसरा संख्या 133 रकबा 144.12 बीघा मे से 6.01 बीघा उतरी बीच का अर्थात कुल 12.19 बीघा भूमि का नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, जी, बी, सी, डी, ई, एफ हिंस्से का वादी नेमिचन्द पुत्र सुरजमल को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–..........मुबलिंग..........मुबलिंग..........–..........बाबत..........–..........
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.04.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015 / रीडर / 2018 / 368 दिनॉक 11/4/18

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत् बंटवारा
व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, 53 R.T.Act.

राजस्व वाद संख्याः 2018 / 02 निर्णय दिनॉक 03.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. नेमीचन्द पुत्र सुरजमल, जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. केदारमल पुत्र सुरजमल, जाति माली, निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner